महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

क्र: एफ–15 / शोध / मदसविवि / दिनांक : / 08 / 2021

शोध पर्यवेक्षक आवंटन अधिसूचना

अधिसूचना क्रमांकः एफ–15 / शोध / सूचना / मदसविवि / 2017 / 69659 दिनांक 28.08.2018 के तहत अभ्यर्थी को डॉ. मधुसूदन राजपुरोहित आवंटित किये गये थे । डॉ. मधुसूदन राजपुरोहित का स्थानान्तरण विश्वविद्यालय क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण व दिनांक 14.12.2019 को आयोजित **शोध पर्यवेक्षक पंजीयन समिति** की अनुशंसा के आधार पर उपलब्ध नवीन शोध पर्यवेक्षकों के अधीन पुनः आवंटन किये जाने के क्रम में अध्यादेश 124.G में प्रावधित विधि संकाय की **शोध पर्यवेक्षक आवंटन** समिति की बैठक दिनांक 05.09.2020 का कार्यवृत माननीय कुलपति महोदय द्वारा अनुमोदन उपरान्त शोध पर्यवेक्षक आवंटन निम्नानुसार किया जाता है:–

क्रसं.	शो.प.आ.समिति का विषय एवं बैठक की दिनांक	अभ्यर्थी का नाम	शोध पर्यवेक्षक का नाम एवं शोध केन्द्र जिसे अभ्यर्थी आवंटित किया गया	अन्य विवरण
1	विधि 05.09.2020	VIKAS KUMAR	Dr. Rajesh Khatwani MLV Govt. College, Bhilwara	

उक्त आवंटन निम्नलिखित शर्तों पर किया जाता है :

1. अभ्यर्थी को संबंधित शोध केन्द्र के विभागाध्यक्ष अथवा प्राचार्य के समक्ष उपस्थित होकर आवंटित शोध पर्यवेक्षक के निर्देशन में **कोर्स वर्क** ज्वाइन करने हेतु अपनी ज्वाइनिंग रिपोर्ट अधिष्ठाता (डीन पी.जी. स्टडीज) को प्रस्तुत करनी होगी जिसके साथ कोर्स वर्क शुल्क रू. 5000 / – का रेखांकित डिमांड ड्राफ्ट, जो कुलसचिव, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर के नाम हो, संलग्न होगा। ज्वाइनिंग रिपोर्ट शोध अनुभाग में जमा करानी होगी ।
2. संबंधित अभ्यर्थी को **'कोर्स वर्क'** ज्वाइन करने की उपर्युक्त वर्णित कार्यवाही करने के लिए केवल 20 दिन का समय देय है जो इस अधिसूचना के जारी होने की दिनांक से माना जायेगा। यदि 20 दिन की अवधि में अभ्यर्थी अपने शोध केन्द्र पर उक्त प्रक्रियानुसार ज्वाइनिंग रिपोर्ट और अन्य शर्तों की पूर्ति नहीं करता है तो उसका आवंटन स्वतः ही निरस्त मान्य होगा ।
3. अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय के अध्यादेश 124.9 के प्रावधानों के अनुसार एक समसत्र 6 माह का कोर्स वर्क करना होगा।
4. सेवारत अभ्यर्थियों को उनके नियोक्ता का अनापत्ति प्रमण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
   यदि संबंधित अभ्यर्थी को उक्त शर्तें स्वीकार हों तो वह इस अधिसूचना की दिनांक से 20 दिन की अवधि में उपर्युक्त वर्णित कार्य करना सुनिश्चित करें।

Sd/-
निदेशक, (शोध)

क्र: एफ–15 / शोध / मदसविवि / 17574-81 दिनांक : 07 / 08 / 2021

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. संबंधित शोध केन्द्र के विभागाध्यक्ष / प्राचार्य को इस निवेदन के साथ कि इस अधिसूचना के जारी होने की दिनांक से 20 दिन की अवधि में यदि कोई अभ्यर्थी आवंटित शोध पर्यवेक्षक के पास कोर्स वर्क करने हेतु उक्त शर्तों की पूर्ति करते हुए ज्वाइनिंग रिपोर्ट देता है, तो उसे नियमित प्रवेश देते हुये उसकी ज्वाइनिंग रिपोर्ट एवं कोर्स वर्क शुल्क का डी.डी. अविलम्ब निदेशक शोध को अग्रेषित कराकर अनुग्रहीत करें।
2. संबंधित शोध पर्यवेक्षकगणों को इस उल्लेख के साथ कि वे आवंटित अभ्यर्थी की ज्वाइन रिपोर्ट एवं प्राप्त शुल्क का डी.डी. अग्रेषित कर अपने शोध केन्द्र के विभागाध्यक्ष अथवा प्राचार्य को भिजवायें जिससे वे उन्हे शोध अनुभाग को भिजवा सकें।
3. वैब एडमिनिस्ट्रेटर को इस निवेदन के साथ कि इस अधिसूचना को और आवेदन पत्र को वैब साईट पर अपलोड कराएं जिससे कि अभ्यर्थी उसे डाउनलोड कर सकें। (श्री नीरज मार्ग)
4. निजी सचिव–कुलपति, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर।
5. संबंधित अभ्यर्थीगण को डाक से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
6. संबंधित अभ्यर्थीगण की पत्रावली।
7. संबंधित शोध पर्यवेक्षक आवंटन समिति की पत्रावली।

उपकुलसचिव (शोध)
07/08/21